भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3458

दिनांक 10 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

3458. श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान में भरतपुर जिले के सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम हेतु आवंटित/जारी/उपयोग की गई निधि की राशि कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को अन्य कार्यक्रमों के साथ एकल परिवर्तित कार्यक्रम नामतः एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) में दिनांक 26.02.2009 से समेकित किया गया था। इसे बाद में वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के रूप में समामेलित किया गया था। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को भरतपुर जिले सहित राजस्थान के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कुल मिलाकर 12 परियोजनाओं, जिसमें 0.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, को राजस्थान के भरतपुर जिले में संस्वीकृत किया गया है और राजस्थान राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 40.04 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

*****